"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 17, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.—श्री अन्बलगन पी., भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा को दिनांक 20-11-2006 से 25-11-2006 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 एवं 26 नवम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अन्बलगन पी. आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/5/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक 03-11-2006 से अर्जित अवकाश पर हैं. अत: सुश्री निगार के अर्जित अवकाश अवधि में श्री ए. एल. टोप्पो, अतिरिक्त कलेक्टर, कोरिया को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, कोरिया का चालू कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/7/2005/1/2.—श्रीमती अलरमेलमंगई डी. भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 20-11-2006 से 03-04-2007 तक (135 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलरमेलमंगई डी., आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती अलरमेलमंगई डी., को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलरमेलमंगई डी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/6/2006/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 11-10-2006 द्वारा श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से., अपर कलेक्टर, रायगढ़ को दिनांक 22-9-2006 से 29-09-2006 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री रात्रे, भा. प्र. से. को दिनांक 30-09-2006 से 20-10-2006 तक (21 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 अक्टूबर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन विकास विभाग को दिनांक 23-10-2006 से 27-10-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-10-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2006

क्रमांक ई-7/2/2006/1/2.—श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा. प्र. से., उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 11-12-2006 से 15-12-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 16, 17 एवं 18 दिसम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राम्हणे, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राम्हणे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राम्हणे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-3/2006/1/5.—भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प. ब.-एक, तारीख 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई "परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881" (1881 का क्रमांक-26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के कोटा विधान सभा उप-चुनाव के सिलसिले में दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 वार सोमवार मतदान के लिये, कोटा विधान सभा क्षेत्र के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

2. क्रमांक एफ 1-3/2006/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के कोटा विधान सभा उप-चुनाव-2006 के लिये मतदान के दिन दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 वार सोमवार कोटा विधान सभा क्षेत्र के लिये सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

मछली पालन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-10-2/36/तक/2006/मसंम.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-2/36/मसंम/2006 दिनांक 22 मई 2006 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा मत्स्य सलाहकार मंडल में निम्न व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य नामांकित करता है.

1. श्री बिष्णु हिरवानी, सदर बाजार धमतरी, जिला धमतरी.
2. श्री एम. वेंकटस्वामी, मु. व पो. मद्देड़ तह. भोपालपटनम, जिला दंतेवाड़ा.
3. श्री मानकलाल धीवर, मु. व पो. महासमुंद, बी. टी. आई. रोड, महासमुंद, जिला महामसुंद.
4. श्री शिवकुमार धरमगुड़े, मुकाम देवरी बंगला, दुर्ग, जिला दुर्ग.
5. श्री रामभरोसे केवर्त, मु. व पो. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डा. अनिल चौधरी, उप-सचिव.

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(वित्त तथा योजना विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ 4-1/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ललितेश्वर श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री सुमेश्वर प्रसाद ग्राम फुन्दूरडिहारी (महुआपारा) पो. नावापारा जिला सरगुजा तथा श्री अजय गोयल आत्मज स्व. श्री नंद किशोर गोयल, मुख्य पथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग-78, ग्राम शिवनंदनपुर पो. विश्रामपुर जिला सरगुजा, को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिये जिला योजना समिति, जिला-सरगुजा में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बिशी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2006

क्रमांक 2313/2380/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा आरंग नगर का निवेश क्षेत्र गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :-

अनुसूची

आरंग निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पोंडरा, फलई, खमतराई तथा अमेठी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम अमेठी, बेनीडीह, शराकट, पारागांव तथा निसदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम निसदा, अकलीखुर्द, ओडका, बोरिद तथा लखोली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम लखोली, रसनी तथा पोंडरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2006

क्रमांक 2316/2379/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा खरोरा नगर का निवेश क्षेत्र गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :-

अनुसूची

खरोरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बरडीह, नहरडीह, खरोरा तथा खोलीडबरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम खोलीडबरी, खरोरा, पेण्डावन तालाब, माठ तथा मुडपार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मुडपार, तिल्दाडीह, बेलदार सिवनी, नवागांव, बुडेरा, केवरडीह तथा कनकी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कनकी, सिर्री, बरडीह तथा नहरडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2006

क्रमांक 2351/1667/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1840 ए/1667/32/2006 दिनांक 20-9-2006 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुचैना	382/1, 382/3, 382/4, 382/5, 383/2, 383/3, 383/4, 384, 395/4, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 592/2, 594/1, 595, 598, 604, 593, 594/2, 596/2, 597/2, 599/2, 600/2, 601/2, 603/1, 605/2, 606/1, 606/3, 617/1, 619/2, 625/2, 626/2, 628/1, 642/2, 630, 631/1, 632/1, 641/3, 642/3	23 एकड़ (9.311 हेक्टेयर)	वृक्षारोपण	औद्योगिक

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2006

क्रमांक 2358/2450/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा सिमगा नगर का निवेश क्षेत्र गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :-

अनुसूची

सिमगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चुटचुटिया, खंडवा, सिमगा, दुलदुला तथा हिरनभाठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम ओरेटी, सिमगा तथा चुटचुटिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कामता, लांजा, बिनौका तथा ओरेटी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हिरनभाठा तथा कामता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2006

क्रमांक 2361/2378/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा तिलदा-नेवरा नगर का निवेश क्षेत्र गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :-

अनुसूची

तिल्दा-नेवरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बिलाड़ी तथा खपरीकला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम टंडवा, मुरसुदा, परसदा तथा बिलाड़ी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सिखे, बहेसर, कुन्दरू तथा टंडवा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम खपरीकला, सिनोधा, नेवरा, कोहका तथा सिखे ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्ती ढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 11-9/2003/16.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26-9-2003 (मांढर सीमेंट संयंत्र बी. सी. आई., मांढर रायपुर विरुद्ध प्रतिनिधित्व अध्यक्ष सीमेंट एवं खदान कर्मचारी यूनियन इंटक सी. सी. आई. कालोनी पोस्ट मांढर जिला-रायपुर) में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूची :-

(1) क्या 58 कोल ठेकेदारी के श्रमिक जिसकी मांढर सीमेंट संयंत्र में नियुक्ति 1972 में हुई थी तथा जो आज तक निरंतरित है का सी. पी. एफ. 1972 से नहीं काटा जाकर 1-11-1977 से काटा जाना औचित्यपूर्ण है ?

(2) क्या कोल अनलोडिंग के ठेका श्रमिकों को भत्ते के साथ वेतन दिये जाने का औचित्य है ?

(3) क्या कोल अनलोडिंग के ठेका श्रमिकों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्त योजना का लाभ दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?

परिशिष्ट/एनेक्चर-ए जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेब्रुस खलखो, अवर सचिव.

ANUEXURE-A

COAL WORKERS, CCI, MANDHAR CEMENT FACTORY, DISTT.-RAIPUR (C. G.)

S. No. (1)	Name (2)	Father's Name (3)	Date of appointment (4)
1.	Son Sai	Bala Ram	1972
2.	Bhurua Ram	Hirde Ram	1972
3.	Jati Ram	Madho Ram	1972
4.	Jay Narayan	Ganesh Ram	1972
5.	Punit Ram	Pachkaud Ram	1972
6.	Dhani Ram	Bharat Ram	1972
7.	Sukhi Ram	Maharu Ram	1972
8.	Puna Ram	Baldeo Ram	1972
9.	Ganeshu Ram	Sakhau Ram	1972
10.	Saraju Ram	Budh Ram	1972
11.	Jagdish	Manrakhan	1972
12.	Heera Ram	Ramu	1972
13.	Ganpat Rao	Sita Ram	1972
14.	Ram Siya	Cait Ram	1972
15.	Durga Prasad	Kanglu	1972
16.	Leel Dhar	Birjhu Ram	1972
17.	Tijau Ram	Gariba Das	1972
18.	Radhe Lal	Firat Ram	1972
19.	Tika Ram	Ramu	1972
20.	Shatruhan Lal	Lakhan Lal	1972
21.	Maya Ram	Pusanu Ram	1972
22.	Ratanu Ram	Jhangalu Ram	1972
23.	Jhhadu Ram	Ram Charan	1972
24.	Sohan Lal	Ratanu Ram	1972
25.	Ram Jee	Feru Ram	1972
26.	Shiv Kumar	Derha Ram	1972
27.	Narottam Ram	Keju Ram	1972
28.	Kali Ram	Sakha Ram	1972
29.	Mahesh Kumar	Makhan	1972
30.	Dukhit Ram	Bajrangi	1972
31.	Moti Ram	Khorbahar Ram	1972
32.	Jagat Ram	Nanaki Ram	1972
33.	Tiharu Ram	Tanagu Ram	1972
34.	Moti Lal	Bisaru Ram	1972
35.	Jagdeo Ram	Sukhara Ram	1972
36.	Baldeo Ram	Sukhara Ram	1972
37.	Baishakhu Ram	Sukhara Ram	1972
38.	Raja Ram	Baldeo Ram	1972
39.	Ram Kumar (Supervisor)	Keshav Singh	1972
40.	Smt. Bhagaiya Bai	W/o Ramesh Kumar	1972
41.	Smt. Pusani Bai	W/o Dhani Ram	1972
42.	Smt. Fagani Bai	W/o Ganesh Ram	1972
43.	Smt. Rajbanti	W/o Jethu Ram	1972
44.	Smt. Sukhwantin	W/o Sukh Das	1972
45.	Smt. Kamala Bai	W/o Birjhu Ram	1972
46.	Smt. Sukhmat Bai	W/o Ramsiya	1972
47.	Smt. Dukhiya Bai	W/o Khemai Ram	1972
48.	Smt. Manma Bai	W/o Aju Ram	1972
49.	Smt. Jana Bai	W/o Nohar Ram	1972
50.	Smt. Laxmi Bai	W/o Ratnu Ram	1972

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Smt. Hira Bai	W/o Laxman Das	1972
52.	Smt. Dasoda Bai	W/o Lakhan Lal	1972
53.	Smt. Bitawan Bai	W/o Dukhwa Ram	1972
54.	Smt. Bena Bai	W/o Moti Ram	1972
55.	Smt. Ramshila Bai	W/o Dukhit Ram	1972
56.	Smt. Daya Bai	W/o Baldev Ram	1972
57.	Smt. Jethiya Bai	W/o Baisakhu Ram	1972
58.	Smt. Agsiya Bai	W/o Raja Ram	1972

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-48/दो/गृह/06.—पंचायत एवं समाज सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2006 को प्रश्नपत्र "समाज कल्याण" (विना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री मुक्तानंद खुटे	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-55/दो/गृह/06.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्नपत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमति याचना ताम्ब्रे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
2.	श्रीमति राखी गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
3.	सोनल खण्डूजा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-56/दो/गृह/06.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "वन विधि"-प्रश्न-पत्र - 1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रमेश कुमार जांगड़े	सहायक वन संरक्षक
	परीक्षा केन्द्र रायपुर	
2.	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू	सहायक वन संरक्षक
3.	कु. प्रभाकर खलखो	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-64/दो/गृह/06.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रमेश कुमार साहू	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री मुक्तानंद खुटे	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-79/दो/गृह/06.—जन संपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री उषाकिरण बड़ाईक	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	श्रीमती अंजू नायक	सहायक संचालक	उच्चस्तर
3.	श्रीमती किरण मरकाम	सहायक संचालक	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री जितेन्द्र नागेश	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-84/दो/गृह/06.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र-3 "प्रक्रिया तथा लेखा" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू	सहायक वन संरक्षक
2.	कु. प्रभाकर खलखो	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-89/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "विद्युत संस्थापनाएं" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सी. एस. खाण्डे	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहा. विद्युत निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-90/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के सहायक अभियंता (डिग्री/डिप्लोमाधारी) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र 4 "लेखा व स्थापना" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सी. एस. खाण्डे	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-47/दो/गृह/06.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) समाज शिक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. करूणा मिंज	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
2.	श्रीमती राखी गोयल	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
3.	श्रीमती याचना ताम्रे	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
4.	श्री छतराम महिलांगे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
5.	श्रीमती भावना नेताम	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
6.	श्री महेश सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	निम्नस्तर
7.	श्री अजय कुमार देवांगन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-54/दो/गृह/06.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) समाज शिक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. विमला भगत	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर
2.	श्री मुक्तानंद खुटे	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री अजय शर्मा	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
4.	श्री रमेश कुमार साहू	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
5.	कु. प्रियंका ठाकुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
6.	कु. रेनू प्रकाश	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-60/दो/गृह/06.—राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुखनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
2.	कु. रजनी भगत	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
3.	कु. लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय
4.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
5.	कु. सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
6.	अविनाश चम्पावत	आई. ए. एस.	उच्चस्तर
7.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर
8.	श्री महेश सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	सश्रेय
9.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय
10.	श्रीमती जयश्री जैन	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय
11.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय
12.	कु. संन्तन देवी जांगड़े	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
13.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

14.	श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव खरे	अधीक्षक	निम्नस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

15.	श्री एस. प्रकाश	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
16.	श्री रजत कुमार	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
17.	श्री मुकेश बंसल	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
18.	श्री ओमप्रकाश चौधरी	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
19.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
20.	कु. रोक्तिमा रॉय	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय
21.	श्रीमती फरिहा आलम	डिप्टी कलेक्टर	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-68/दो/गृह/06.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा-प्रथम" (बिना पुस्तकों के) लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संकल्प साहू	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-87/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "विद्युत संबंधी विधियाँ" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सी. एस. खाण्डे	सहायक अभियंता
2.	श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती	उप अभियंता

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-91/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "स्विच गेयर तथा संरक्षण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती	उप अभियंता

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-92/दो/गृह/06.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "इन्शुलेशन कोआर्डिनेशन व हजार्डस एरिया" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सी. एस. खाण्डे	सहायक अभियंता
2.	श्री धर्मेन्द्र कुमार भारतीय	उप अभियंता

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-45/दो/गृह/06.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित, टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	रेणुका श्रीवास्तव	जिला पंजीयक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-46/दो/गृह/06.—आबकारी (उत्पाद शुल्क) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री विजय सेन शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
2.	श्री अरविन्द कुमार पाटले	जिला आबकारी अधिकारी	उच्चस्तर
3.	श्री चन्द्र प्रताप सिंह	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-59/दो/गृह/06.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमति याचना ताम्ब्रे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
2.	कु. भावना नेताम	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
3.	श्री अजय कुमार देवांगन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
4.	सोनिया नायक	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
5.	श्री छतराम महिलांगे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-69/दो/गृह/06.—आबकारी (उत्पाद शुल्क) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अरविन्द कुमार पाटले	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय
2.	श्री नोहर सिंह ठाकुर	जिला आबकारी अधिकारी	उच्चस्तर
3.	श्री अजय कुमार पाण्डेय	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	नीतू नोतानी	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय
5.	श्री विजय सेन शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-75/दो/गृह/06.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री बालमुकुन्द तंबोली	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	श्री पवन कुमार गुप्ता	सहायक संचालक	सश्रेय
3.	श्री सुनील कुमार सिंह	सहायक संचालक	सश्रेय
4.	श्री हीरालाल देवांगन	सहायक संचालक	उच्चस्तर
5.	श्रीमती अंजू नायक	सहायक संचालक	उच्चस्तर
6.	कु. सीमा अग्रवाल	सहायक संचालक	सश्रेय
7.	श्रीमती किरण मरकाम	सहायक संचालक	उच्चस्तर
8.	श्री जितेन्द्र नागेश	सहायक संचालक	सश्रेय
9.	डॉ. उषा किरण बड़ाईक	सहायक संचालक	सश्रेय
10.	कु. गुरूप्रीत कौर होरा	सहायक संचालक	सश्रेय
11.	कु. इस्मत जहाँ दानी	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-9-80/दो/गृह/06.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई, 2006 को प्रश्न-पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुनील कुमार सिंह	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	उषा किरण बड़ाईक	सहायक संचालक	उच्चस्तर
3.	श्रीमती किरण मरकाम	सहायक संचालक	उच्चस्तर
4.	कु. सीमा अग्रवाल	सहायक संचालक	उच्चस्तर
5.	श्री जितेन्द्र नागेश	सहायक संचालक	उच्चस्तर
6.	कु. गुरूप्रीत कौर होरा	सहायक संचालक	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक क/वा./भू-अर्जन/प्र. क्र.-1/82 वर्ष 2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	भोथीडीह प. ह. नं. 47/26	0.093	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	तिथीडीह जलाशय निर्मित योजना नहर हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र.-13 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	पलारी प. ह. नं. 32	1.858	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार.	लकड़िया पहुंच मार्ग निर्माण.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2006

क्रमांक/क./वा. भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./09/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मठपुरैना (रावणभाठा) प. ह. नं. 105	12.000	आयुक्त, नगर निगम, रायपुर	अंतर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2006

क्रमांक 1706-अ/82 सन् 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	खुटेरी प. ह. नं. 19	0.32	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तान्दुला नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2006

क्रमांक 1708-अ/82 सन् 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिकोसा प. ह. नं. 24	0.11	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तान्दुला नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2006

क्रमांक 1710-अ/82 सन् 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिव्दी प. ह. नं. 4	0.29	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना, दुर्ग.	बुढेना वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कबीरधाम, दिनांक 13 नवम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 8 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	चारभाठा कला प. ह. नं. 12	4.222	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	घोघरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं माइनर नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 नवम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नकना, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
310/4	0.222
योग	0.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़ कापू मार्ग के कि. मी. 10/8 पर कोरजा सेतु पंहुच मार्ग बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-जुर्डा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	9/1	0.045
	10/1	0.081
योग	2	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरीपानी जलाशय के नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जां सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.987 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	84/1	0.024
	158	0.137
	170/1	0.049
	185/3	0.081
	174/2	0.227
	179	0.057
	84/2 ख	0.036
	159	0.016
	171	0.073
	173	0.032
	178	0.125
	185/1	0.081
	185/4	0.049
योग	13	0.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरीपानी जलाशय के नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकोरी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक क/वा./भू-अर्जन/प्र. क्र. 1 अ/82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-भाटापारा
(ग) नगर/ग्राम-मोपका, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204/1	0.223
योग	0.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भरतपुर जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक क/वा./भू-अर्जन/प्र. क्र. 2 अ/82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-केसला, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393/1	0.252
393/4	0.049
1097/1	0.200
1097/2	0.010
योग 4	0.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केसला एनीकट योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्र./2971/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08/अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-काण्डेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
104/6	0.10
103/2	0.38
103/4	0.22
103/3	0.26
124/5	0.65
103/5	0.25
124/4	0.25
124/3	0.70
126/4, 127	0.58
129/6	0.12
129/4	0.14
129/5	0.15
129/8	0.30
129/1	0.15
129/3	0.12
129/7	0.25
132	0.45
135/329	0.40
137	0.50
249/2	0.10
249/1	0.12
252	0.06
योग 23	6.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कोटरी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्र./2972/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-नागलदेही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136	0.42
143	0.17
150	0.17
151	0.03
149	0.16
98	0.05
148	0.03
157	0.04
95	0.03
170/1	0.24
169/1	0.03
192	0.11
195	0.17
203	0.08
158	0.01
87	0.07
86	0.07
101/4	0.10
100	0.14
99	0.16
97	0.05
94	0.03
96	0.20
91	0.18
90/1	0.02
90/3	0.07
90/2	0.07
84/1	0.07
83	0.20
80	0.19
78	0.14
77	0.11
189	0.05
75	0.16
73	0.07
योग 35	3.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य एवं माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्र./2973/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13/अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ीगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.74 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
166/1	0.10
166/2	0.16

(1)	(2)
165/6	1.10
167/11	0.10
165/7, 242	0.12
244, 245, 246/2, 252	0.53
246/1	0.56
249	0.45
250	1.02
275/1, 276	0.15
273/15	0.18
273/16	0.30
280/1, 280/2	0.10
279/4, 416	0.28
279/5	0.41
279/6	0.38
279/1	0.14
401/3	0.82
407, 409/2	0.50
409/3	0.27
409/1	0.64
401/2, 405/2	0.03
453/4	0.40
योग	8.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गिरसुल व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2006

क्र./2974/अ.वि.अ./भू-अर्जन/02/अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-देवभोग
- (ग) नगर/ग्राम-पीटापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.10
157	0.21
121	0.11
122	0.11
75	0.09
215	0.05
120	0.19
159	0.13
160	0.17
151	0.07
161	0.04
162	0.21
173	0.07
172	0.18
216	0.09
174/1	0.32
185	0.08
184	0.13
217	0.08
30	0.18
213	0.03
212	0.03
211	0.10
48	0.05
45	0.06
47	0.16
35	0.18
32	0.09
29	0.11
14	0.18
योग 30	3.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धूपकोट जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य एवं माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक/53/क/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-बानीखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.511 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10/1	0.097
	11, 17, 19/2	0.308
	12/1, 13/2, 14/3	0.053
	12/3	0.053
योग	4	0.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सलिहा, बिलारी, सोनपुर मार्ग में सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक/54/क/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के प्रद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-बिलारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	216/1	0.008
	216/3	0.040
	216/4	0.073
योग	3	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सलिहा, बिलारी, सोनपुर मार्ग में सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th October 2006

No. 131/I-7-3/2006 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare 1st November 2006 as holiday on account of Sixth Anniversary of Chhattisgarh State Formation Day" for the High Court and its Registry and in lieu thereof, the Non-working Saturday falling on 25th November 2006 as working day for the High Court and its Registry.

Bilaspur, the 8th November 2006

No. 734/Confdl./2006/II-3-1/2006.—Shri Pramod Singh Paraste, who has been posted as I Additional Judge to I Civil Judge class-II, Jagdalpur and directed to join by 26-10-2006 vide High Court Registry Order No. 671/Confdl./2006/II-3-1/2006 dated 7-10-2006, is hereby granted extension of time for joining to the said post and he is directed to join positively by 10th of November 2006.

Bilaspur, the 16th November 2006

No. 744/Confdl./2006/II-2-1/2006.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ravi Shankar Sharma, Additional Registrar (District Establishment), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Anil Kumar Gaikwad IV Additional District & Sessions Judge.	Durg	Baloda-Bazar	Raipur	II Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Bhuneshwar Ram Pradhan V Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	I Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Naresh Kumar Chandra-Wanshi, IV Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 16th November 2006

No. 746/Confdl./2006/II-2-90/2001 (Pt. II).—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Posted as (5)
1.	Shri Anand Kumar Beck, I Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Bilaspur	Additional Registrar (District Establishment), High Court of Chhattisgarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Shri Deepak Kumar Tiwari, I Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Additional Registrar (Classification), High Court of Chhattisgarh.

Bilaspur, the 16th November 2006

No. 748/Confdl./2006/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) in whose favour a certificate of confirmation was issued in terms of Rule 9 (d) of Chhattisgarh Uchchatar Nyayik Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1994 are, hereby, allotted the date of confirmation in Higher Judicial Service as mentioned in column No. (3) of the table below :-

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Pooran Nath Tembhurkar	01-09-2006
2.	Shri Brijlal Tidke	01-10-2006
3.	Shri Mahadev Katulkar	01-10-2006
4.	Shri Ram Prasanna Sharma	08-10-2006
5.	Smt. Ranoo Divekar	08-10-2006
6.	Shri Ashok Kumar Goyal	08-10-2006
7.	Shri Ashok Kumar Pathak	08-10-2006
8.	Shri Satish Kumar Singh	08-10-2006
9.	Shri Pradeep Kumar Dave	13-10-2006
10.	Shri Arvind Singh Chandel	01-11-2006

Bilaspur, the 16th November 2006

No. 750/Confdl./2006/II-3-2/2002.—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2), in whose favour a certificate of confirmation were issued due to non-availability of permanent posts, are hereby, allotted the date of confirmation in Lower Judicial Service as mentioned in column No. (3) of the table below :-

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Thomas Ekka	01-08-2004

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Devendra Nath Bhagat	27-09-2004
3.	Shri Pradeep Kumar Singh	02-10-2004
4.	Shri Dileshwar Singh Rathiya	03-10-2004
5.	Shri Daya Sindhu Ganveer	01-04-2005
6.	Smt. Geeta Neware	05-05-2005
7.	Smt. Girija Devi Meravi	01-09-2006
8.	Ku. Prisilla Ekka	01-10-2006
9.	Shri Shailesh Kumar Ketarap	01-10-2006
10.	Shri Prabodh Toppo	08-10-2006
11.	Shri Srinarayan Singh	08-10-2006
12.	Shri Prafull Sonwani	08-10-2006
13.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahri	08-10-2006
14.	Shri Sheikh Ashraf	08-10-2006
15.	Shri Liladhar Sarthi	13-10-2006
16.	Shri Alok Kumar	01-11-2006

Bilaspur, the 16th November 2006

No. 752/Confdl./2006/II-3-2/2002.—The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation for 2 years and who have completed their period of probation, are hereby issued a certificate of confirmation under Rule 11 (5) of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 ,viz. :-

1. Ku. Sangita Shukla
2. Smt. Leena Agrawal
3. Shri Pankaj Kumar Jain
4. Shri Pankaj Kumar Sinha
5. Shri Harish Kumar Awasthi
6. Ku. Shraddha Shukla
7. Smt. Madhu Tiwari
8. Ku. Garima Arya
9. Shri Yashwant Kumar Sarthi
10. Shri Nratyanjay Singh Patel
11. Shri Rajendra Kumar Verma
12. Shri Manoj Kumar Prajapati
13. Shri Ajit Kumar Rajbhanu

14. Ku. Sunita Sahu
15. Shri Yashwant Wasnikar
16. Ku. Kirti Dan Xalxo
17. Shri Niranjan Lal Chauhan
18. Smt. Usha Gendle
19. Ku. Swarnalata Tirki
20. Smt. Sunita Toppo
21. Shri Purushottam Singh Markam
22. Shri Mahesh Kumar Raj

Bilaspur, the 17th November 2006

No. 756/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-I as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :-

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Prafull Sonwani, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Kondagaon	Dhamtari	Dhamtari	II Civil Judge Class-I
2.	Shri Devendra Nath Bhagat, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & J. M. F. C.	Bhanupra-tappur	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-I
3.	Ku. Saroj Nand Das, II Civil Judge Class-I.	Durg	Korba	Korba	II Civil Judge Class-I
4.	Shri Daya Sindhu Ganveer, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Dharamjai-garh	Raigarh	Raigarh	II Civil Judge Class-I
5.	Shri Praveen Kumar Pradhan, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Gharghora	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-I
6.	Shri Mansoor Ahmed, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Sarangarh	Kawardha	Kabirdham	II Civil Judge Class-I
7.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahri, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Saraipali	Mahasamund	Mahasamund	III Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 17th November 2006

No. 757/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate, as mentioned in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assumes charge of his office, viz. :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Anand Ram Dhidhi, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate.	Durg	Durg	Durg	II Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 17th November 2006

No. 759/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :-

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Pramod Kumar Paraste, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Civil Judge Class-II
2.	Shri Harish Kumar Awasthi, Civil Judge Class-II.	Kawardha	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-II
3.	Shri Rakesh Kumar Som, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II
4.	Shri Purshottam Singh Markam, Civil Judge Class-II.	Korba	Bhanupratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II
5.	Smt. Shraddha Singh, III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	IV Civil Judge Class-II
6.	Shri Anish Dubey, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	VII Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Smt. Tajeswari Devi Dewangan I Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Janjgir	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-II
8.	Ku. Pallavi Parashar, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
9.	Shri Anil Kumar Bara, III-Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	I Civil Judge Class-II
10.	Ku. Pratibha Verma, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Durg	Balod	Durg	II Civil Judge Class-II
11.	Shri Prabhakar Gwal, VIII-Civil Judge Class-II.	Durg	Bemetara	Durg	II Civil Judge Class-II
12.	Ku. Mohini Kanwar, IV-Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-II
13.	Ku. Sunita Sahu, VI Civil Judge Class-II.	Durg	Dharam-Jaigarh	Raigarh	Civil Judge Class-II
14.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Civil Judge Class-II.	Dhamtari	Gharghora	Raigarh	Civil Judge Class-II
15.	Shri Yashwant Wasnikar, I Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Sarangarh	Raigarh	Civil Judge Class-II
16.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, I Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Raipur	Raipur	V Civil Judge Class-II
17.	Shri Mukesh Kumar Patre, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	VIII Civil Judge Class-II
18.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Raipur	Raipur	X Civil Judge Class-II
19.	Shri Rakesh Kumar Verma, VII Civil Judge Class-II.	Raipur	Gariaband	Raipur	Civil Judge Class-II
20.	Shri Shahabuddin Qureshi, I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II.	Kawardha	Dhamtari	Dhamtari	II Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Shri Ashish Pathak, II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II.	Korba	Mahasamund	Mahasamund	II Civil Judge Class-II
22.	Shri Yashwant Kumar Sarthi, I Civil Judge Class-II.	Balod	Saraipali	Mahasamund	Civil Judge Class-II
23.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II
24.	Shri Dilesh Kumar Yadav, I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II
25.	Shri Jitendra Kumar Thakur, III Additional Judge to The Court of I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
26.	Ku. Nidhi Sharma, II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II.	Kawardha	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	Civil Judge Class-II
27.	Shri Pankaj Sharma, I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II.	Korba	Korba	Korba	Civil Judge Class-II
28.	Shri Jagdish Ram, II Additional Judge to Court of I Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-II
29.	Ku. Yogita Gadpayle, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Durg	Durg	Durg	VI Civil Judge Class-II
30.	Ku. Dwarika Tidke, III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Durg	Durg	Durg	VIII Civil Judge Class-II
31.	Smt. Urmila Gupta, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-II
32.	Ku. Himanshu Jain, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raipur	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-II
33.	Smt. Mamta Shukla, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-II
34.	Shri Sidharth Agrawal, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Balod	Durg	I Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	Ku. Sangita Shukla, Civil Judge Class-II.	Manendra-garh.	Raipur	Raipur	VII CJ-II
36.	Shri Aditya Joshi, IX Civil Judge Class-II.	Raipur	Manendra-garh.	Koriya (Baikunthpur)	CJ-II
37.	Shri Vivek Kumar Tiwari, VII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-II
38.	Shri Madhusudhan Chandra-kar, V Civil Judge Class-II.	Durg	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 17th November 2006

No. 5398/J. O. T. I./2006/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following newly appointed Additional Distirict & Sessions Judges (F. T. C.) as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers. Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 21-11-2006 in the afternoon and before 5.00 P. M. for attending the IIIrd Refresher Course-2006 on "Judicial Education" to be held from 22nd November 2006 to 23rd November, 2006 and also classes on Stress Management/Art of Living.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Additional District Judge (FTC) (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Shailesh Kumar Tiwari	IV Additional District & Sessions Judge (F T C), Jagdalpur
2.	Shri Ashok Kumar Sahu	X Additional District & Sessions Judge (F T C), Durg
3.	Smt. Suman Ekka	X Additional District & Sessions Judge (F T C), Raipur
4.	Shri Gokaran Singh Kunjam	VIII Additional District & Sessions Judge (F T C), Bilaspur
5.	Shri Phool Singh Penkra	III Additional District & Sessions Judge (F T C), Raigarh
6.	Shri K. Vinod Kujur	II Additional District & Sessions Judge (F T C), Kanker
7.	Shri Rajendra Pradhan	VII Additional District & Sessions Judge (F T C), Durg
8.	Smt. Kanta Martin	IX Additional District & Sessions Judge (F T C), Raipur
9.	Shri Anand Kumar Singhal	IX Additional District & Sessions Judge (F T C), Bilaspur
10.	Shri Ashok Kumar Lunia	I Additional District & Sessions Judge (F T C), Ramanujganj
11.	Shri Suresh Kumar Soni	II Additional District & Sessions Judge (F T C), Korba
12.	Shri Onkar Prasad Gupta	XII Additional District & Sessions Judge (F T C), Durg

(1)	(2)	(3)
13.	Shri Bhishma Prasad Pandey	III Additional District & Sessions Judge (F T C), Surajpur
14.	Shri Arvind Kumar Sinha	II Additional District & Sessions Judge (F.T C), Ramanujganj
15.	Shri Balindar Singh Saluja	XI Additional District & Sessions Judge (F T C), Raipur
16.	Shri Hemant Kumar Agrawal	II Additional District & Sessions Judge (F T C), Manendragarh

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

Bilaspur, the 15th November 2006

No. 19/Comp./2006.—The head quarter of Shri Yogesh Mathur, Suspended, Third Additional District and Sessions Judge, Jagdalpur, District Bastar (C. G.) is changed from Jagdalpur to Raipur on his own request and no transfer allowance is admissible.

By the order of Hon'ble High Court,
R. L. JHANWAR, Registrar (I & E).

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 179/दो-2-29/2004.—श्री एच. एस. मरकाम, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-10-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 180/दो-2-5/2006.—श्री रविशंकर शर्मा, एडीशनल रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-09-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 181/दो-2-16/2004.—श्री सी. वी. एस. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22-08-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 182/दो-2-40/2001.—श्री रघुबीर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-08-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 183/दो-2-4/2000.—श्री ए. एल. निमोणकर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-08-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

क्रमांक 192/दो-2-15/2002.—श्री ए. के. पण्डा, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-09-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2006

क्रमांक 186/दो-2-15/2004.—श्री आलोक झा, रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19-09-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2006

क्रमांक 187/दो-2-9/2005.—श्रीमति अनिता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ. ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-09-2006 के अनुक्रम में, उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 10002/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 14-07-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक 5396/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 3378 तीन-6-1/2000, दिनांक 7 अगस्त 2004 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट, 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेलभूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के जांच एवं विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/इक्कीस-ब (छ. ग.)/2001 दिनांक 4 जुलाई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2)

की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :-

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शैलेष कुमार केतारप	रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर.

Bilaspur, the 17th November 2006

No. 5396/III-6-1/2000.—In exercise of the powers Conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in Supersession of its Notification No. 3378/III-6-1/2000. dated 7th August 2004 the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrat established by the government of Chhattisgarh under Section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs, Department Notification No. 3403/21-B (C. G.)/2001 dated 4th July 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands runing through the territories of Civil Districts Shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office :-

TABLE

S. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Head Quarter	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Shailesh Kumar Ketarap	Raipur	Raipur. Durg, Rajnandgaon, Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक 5402/तीन-10-11/2000(सरगुजा-रामानुजगंज).—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 1589/तीन-10-11/2000 (सरगुजा-रामानुजगंज) दिनांक 06-03-2002 जहां तक उसका संबंध द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा स्थान अंबिकापुर की श्रृंखला न्यायालय रामानुजगंज से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 5402/III-10-11/2000 (Surguja-Ramanujganj).—The Notification No. 1589/III-10-11/2000 (Surguja-Ramanujganj) dated 06-03-2002 issued by the High Court of Chhattisgarh. Bilaspur so far it relates to holding Link Court of Second Additional District and Sessions Judge. Ambikapur at Ramanujganj is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2006

क्रमांक 5404/तीन-6-2/2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

अनु.	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के नाम	वर्तमान पदस्थापना	सिविल जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री प्रशांत कुमार शिवहरे	जगदलपुर	बस्तर
2.	श्री श्रीकान्त श्रीवास	जगदलपुर	बस्तर
3.	कु. पूजा मेहर	जगदलपुर	बस्तर
4.	श्री वी. टोप्पो	जगदलपुर	बस्तर
5.	श्री अजय सिंह राजपूत	जगदलपुर	बस्तर
6.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	बिलासपुर	बिलासपुर
7.	श्री विवेक कुमार तिवारी (कनिष्ठ)	बिलासपुर	बिलासपुर
8.	श्री अनीश दुबे	बिलासपुर	बिलासपुर
9.	श्रीमती ममता पटेल	बिलासपुर	बिलासपुर
10.	कुमारी पल्लवी पाराशर	बिलासपुर	बिलासपुर
11.	श्री विवेक कुमार वर्मा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	दुर्ग	दुर्ग
13.	कु. नीरू सिंह	दुर्ग	दुर्ग
14.	श्री चन्द्रकुमार कश्यप	दुर्ग	दुर्ग
15.	श्री मधुसूदन चन्द्राकर	दुर्ग	दुर्ग
16.	श्री कमलेश जगदल्ला	दुर्ग	दुर्ग
17.	कु. प्रतिभा वर्मा	दुर्ग	दुर्ग
18.	श्री प्रभाकर ग्वाल	दुर्ग	दुर्ग
19.	श्री लवकेश प्रताप सिंह बघेल	दुर्ग	दुर्ग
20.	श्री विजय कुमार साहू	जशपुर	जशपुर
21.	श्री शहाबुद्दीन कुरैशी	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
22.	कु. निधि शर्मा	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
23.	श्री आशीष पाठक	कोरबा	कोरबा
24.	श्री पंकज शर्मा	कोरबा	कोरबा
25.	श्री सुनील कुमार नंदे	रायगढ़	रायगढ़
26.	श्रीमती किरण राठी	रायगढ़	रायगढ़
27.	श्रीमती ममता शुक्ला	रायगढ़	रायगढ़
28.	श्री भानुप्रताप सिंह त्यागी	रायगढ़	रायगढ़
29.	श्री अविनाश तिवारी	रायपुर	रायपुर
30.	श्री राकेश कुमार वर्मा	रायपुर	रायपुर
31.	श्री आदित्य जोशी	रायपुर	रायपुर
32.	श्री दीपक कुमार गुप्ता	रायपुर	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	श्री बालाराम साहू	रायपुर	रायपुर
34.	श्री मनोज कुमार सिंह ठाकुर	रायपुर	रायपुर
35.	श्रीमती प्रिया राव	रायपुर	रायपुर
36.	कु. हिमांशु जैन	रायपुर	रायपुर
37.	श्री आनंद कुमार वारियाल	रायपुर	रायपुर
38.	श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी	राजनांदगांव	राजनांदगांव
39.	श्रीमती तेजस्वरी देवी देवांगन	राजनांदगांव	राजनांदगांव
40.	श्री शैलेश अच्युत पटवर्धन	राजनांदगांव	राजनांदगांव
41.	श्री दिलेश कुमार यादव	अंबिकापुर	सरगुजा
42.	श्री विवेक कुमार तिवारी (वरिष्ठ)	अंबिकापुर	सरगुजा
43.	श्री लीलाधरसाय यादव	अंबिकापुर	सरगुजा
44.	श्रीमती उर्मिला गुप्ता	अंबिकापुर	सरगुजा
45.	श्री सिद्धार्थ अग्रवाल	अंबिकापुर	सरगुजा

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. आर. एल. नारायणा, एडीशनल रजिस्ट्रार.